

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017

1. क्रमांक/एफ 5-15/2010/1/59 : ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 152 तथा नियम 67 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, उक्त नियम के खण्ड VIA, VIIA, IXA, XII, XIV, XV, XVI, XVIa, XVII, XVIII एवं XIX (जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी औषधियों तथा कॉस्मेटिक्स से है) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/2010/1/59 दिनांक 16/1/2012 को अधिकमित करते हुए, एतद द्वारा डॉ. पी. सी. शर्मा, विशेषज्ञ आयुर्वेद, प्रभारी उप संचालक, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority) नियुक्त करता है।

1. No. F 5-15-2010-1-59 : In exercise of the powers conferred by rule 152 and 67A of the Drugs and Cosmetics Rules 1945, for the purpose of the parts VIA, VIIA, IXA, XII, XIV, XV, XVI, XVIa, XVII, XVIII and XIX (upto the extent to which these are related to Ayurved, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs and cosmetics) of the said rules, the State Government, superseding the previous notification issued vide No. F 5-15-2010-1-59 dated 16/1/2012, hereby appoints Dr. P. C. Sharma, Specialist Ayurved, Deputy Director in charge, Directorate of Ayush, Madhya Pradesh as Licensing Authority (Indian System of Medicine and Homoeopathy) for Madhya Pradesh state.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील मड़ावी, अवर सचिव.

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम् तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2017

शुद्धि-पत्र

क्र. 1020-मप्रविनिआ-2017.—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 987, दिनांक 06 जुलाई, 2017 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार में दिनांक 07 जुलाई, 2017 को पृष्ठ क्रमांक 269 से 309 तक किया गया है. इस अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 90 पर अंग्रेजी संस्करण में दिनांक "6th July, 2016" त्रुटिवश प्रकाशित हो गई है.

अतएव, यह शुद्धि-पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है. अंग्रेजी पृष्ठ क्रमांक 290 पर प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण में दिनांक "6th July, 2016" के स्थान पर "6th July, 2017" पढ़ी जावेगी.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

निर्वाचक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.